कार्यालय उप वन संरक्षक, अजमेर

क्रमांकः–एफ( )एफसीए/उवसं/2016–17/ 4350 दिनांकः– 8/4/2017

निमित्त,

मुख्य वन संरक्षक,
अजमेर।

विषयः– Diversion of 6.35 Hectare Forest Land for 400 KV Ajmer (New)-Ajmer (RVPN) Power Transmission line for Power Grid Corporation of India Limited, Ajmer.

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन हैं कि प्रकरण में प्रधान मुख्य वन संरक्षक, राजस्थान जयपुर द्वारा निम्नांकित आक्षेप लगाये जाने पर आक्षेपों की पूर्ति प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा पूर्ण किये जाने पर प्रस्ताव की दो प्रति अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रेषित हैं।

क्र.सं.	आक्षेप का विवरण	प्रत्युत्तर
1.	प्रस्ताव में सार्वजनिक निर्माण विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र संलग्न नहीं किया गया हैं जो प्रस्तावित है।	दस्तावेज प्रस्तावों के साथ संलग्न कर दिये गये हैं एवं ऑनलाईन एडीशनल इन्फोरमेशन में भी अपलोड कर दिये गये है।
2.	प्रस्तावों में ग्राम कानस एवं देवनगर में वनाधिकार समिति का पत्र अपलोड किया गया हैं इसमें बैठक कार्यवाही विवरण संलग्न किया जाना प्रस्तावित है। साथ ही समस्त दस्तावेज (ग्राम पंचायत बैठक कार्यवाही विवरण एवं उपखण्ड अधिकारी समिति बैठक कार्यवाही विवरण) भी ऑनलाईन अपलोड किया जाना प्रस्तावित है।	सूचना ऑनलाईन एफआरए में अपलोड कर दी गयी हैं जिसकी प्रति प्रस्तावों में संलग्न की गयी है।
3.	उप वन संरक्षक द्वारा अवगत कराया गया हैं कि पारेषण लाईन के नीचे 656 वृक्षों (ऑनलाईन पोर्टल पर 307 वृक्ष) की सूची उपलब्ध करायी गयी हैं किन्तु यह स्पष्ट नहीं किया गया हैं कि इनमें से कितने वृक्षों का पातन किया जायेगा एवं कितने वृक्षों की छंगाई की जायेगी, पृथक–पृथक सूची क्लासवार बनायी जाना प्रस्तावित है।	पारेषण लाईन के नीचे 656 वृक्ष आ रहे हैं जिनका पातन किया जाना प्रस्तावित हैं। ऑनलाईन पोर्टल में 307 वृक्षों को ही दर्शाया गया हैं क्योंकि जिन वृक्षों की Girth 30 सेमी से कम हैं, उनके लिये ऑनलाईन प्रपत्र में कोई कॉलम नहीं हैं। इसी कारण 656 वृक्षों में से 307 वृक्षों को ही ऑनलाईन प्रपत्र में दर्शाया गया है।
4.	उप वन संरक्षक द्वारा वनभूमि पर कराये जाने वाले वृक्षारोपण स्थल का DGPS मेप संलग्न नहीं किया गया हैं।	प्रस्तावों में DGPS मेप एडीशनल इन्फोरमेशन में अपलोड कर दिया गया है जिसकी प्रति प्रस्तावों के साथ संलग्न है।
5.	प्रतिपूरक वनक्षेत्र के वृक्षारोपण की उपयुक्तता का प्रमाण पत्र क्षेत्रीय वन अधिकारी द्वारा दिया गया हैं जिस पर उप वन संरक्षक द्वारा हस्ताक्षर किये गये हैं जो सही नहीं हैं। स्थल उपयुक्तता प्रमाण पत्र उप वन संरक्षक को ही जारी किया जाना प्रस्तावित है।	प्रस्तावों में उप वन संरक्षक द्वारा हस्ताक्षरित उपयुक्तता का प्रमाण पत्र एडीशनल इन्फोरमेशन में अपलोड कर दिया गया हैं जिसकी प्रति प्रस्तावों में संलग्न हैं।
6.	प्रस्तावों में दो हार्ड प्रति प्रस्तुत की गयी हैं जिसमें अपूर्ण दस्तावेज (अधिकृत अधिकारी का प्रमाण पत्र, प्रस्तावों की औचित्तता, पार्ट–III आदि) हैं। इसमें एक प्रति मूल जिसमें सभी दस्तावेज जो वेब पोर्टल पर अपलोड किये गये हैं, में अधिकृत अधिकारी के हस्ताक्षर के एवं उप वन संरक्षक द्वारा जारी दस्तावेज, पार्ट–II, समस्त नक्शे, एरिया, केलकूलेशन सीट आदि पर उप वन संरक्षक द्वारा हस्ताक्षर किये जाना प्रस्तावित हैं। एक अन्य फोटो प्रति जिसमें हस्ताक्षर ऑरीजनल हो दिया जाना प्रस्तावित है।	प्रस्तावों में समस्त दस्तावेजों पर हस्ताक्षर कर दिये गये है एवं अन्य दस्तावेजों की हस्ताक्षरित फोटोप्रति संलग्न है।

संलग्न :– उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

(अजय चित्तौड़ा)
उप वन संरक्षक
अजमेर

क्रमांक :–सम/ दिनांकः–

प्रतिलिपि अति. प्रधान मुख्य वन संरक्षक, वन सुरक्षा एवं नोडल अधिकारी, राजस्थान, जयपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैं।

उप वन संरक्षक
अजमेर

D/Store/FCA 2016